

30.12.2025:- पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया की वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही की जा रही है। वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नही आये। वादी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
मुम्बई